

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-1

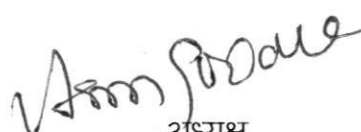
क्रमांक- 308

दिनांक- 26/2/26

ई-निविदा सूचना

जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर-प्रथम में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिये फोटो स्टेट सम्बन्धी कार्य करवाये जाने हेतु ई-निविदा (E-Tender) आमंत्रित की जाती हैं जो दिनांक 26.02.2026 को सायं 05.00 बजे से दिनांक 09.03.2026 को प्रातः 10.00 बजे तक वेबसाइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड करके निर्धारित दस्तावेजों के साथ दिनांक 09.03.2026 को प्रातः 12.00 बजे तक ऑन लाईन इलेक्ट्रॉनिक फोरमेट में वेबसाइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर प्रस्तुत की जा सकती है। डाउनलोड करके ऑनलाईन प्रस्तुत की गई निविदा की निर्धारित प्रोसेसिंग फीस, निविदा शुल्क एवं निर्धारित धरोहर राशि के बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट को स्कैन करके प्रस्तुत करना होगा तथा दिनांक 09.03.2026 को दोपहर 01:00 बजे तक कार्यालय में उपस्थित होकर प्रोसेसिंग फीस निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि के बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट एवं परिशिष्ट "अ" में वाछित समस्त दस्तावेज भौतिक रूप में जमा करवाने होंगे। ई-निविदा की तकनीकी बिड दिनांक 09.03.2026 को दोपहर 01.30 बजे खोली जायेगी। वित्तीय बिड खोलने की दिनांक व समय हेतु बाद में सूचित किया जायेगा। निविदा की मुख्य शर्तें एवं विवरण ई-निविदा की वेबसाइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर विभागीय वेबसाइट <https://jaipurmetro1.dcourts.gov.in> एवं राजस्थान सरकार राज्य लोक उपापन पोर्टल की वेबसाइट <http://www.sppp.rajasthan.gov.in> पर देख सकते हैं।

क्र. सं.	नाम आइटम/कार्य	अनुमानित राशि	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र शुल्क	निविदा प्रोसेसिंग शुल्क	निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	निविदा खोलने की दिनांक मय समय
1.	फोटो स्टेट कार्य	25,00,000/-	50,000/-	500/-	500/-	09.03.2026	09.03.2026 दोपहर 01.30 बजे


अध्यक्ष,
फोटोस्टेट कार्य निविदा समिति
(विशिष्ट न्यायाधीश, जाली नोट प्रकरण)
जयपुर महानगर-1

S.No.	Type of Certificate & Other informations	Yes/No	Date of issue/ Validity
1-	Whether tender fee document is submitted with e-tender. Provide details Banker Cheque/DD no..... dt.....		
2-	Whether EMD document submitted with e-tender. Provide details DD/Banker Cheque/Challan receipt no..... dt..... amount.....		
3-	Whether agreed with all tender conditions		
4	Whether Processing Fee.. with e-tender. Provide details DD/Banker Cheque/Challan receipt no..... dt..... amount.....		
5-	Whether annexure- D have been downloaded, signed and submitted with e-tender		
6-	Whether G.S.T. registration certificate is submitted with e-tender		
7-	If bidder has an authorised representative based in jaipur, name address and contact number should be submitted with e-tender		
8-	Bankers certificate regarding running bank account, if bidder has submitted tender for the first time		
9-	Whether Turn-Over certificate submitted with E-tender		
10-	Whether Work experience certificate submitted with E-tender		

(XIV) हम सम्पुष्टि करते हैं कि प्राईस बिड हमारे द्वारा ई-निविदा में निर्धारित तरीके से प्रस्तुत की गई है।

1. क्रम संख्या (XII) में अंकित संलग्न को मैं दस्तावेज प्रस्तुत किया है अथवा नहीं उसके आगे 'Yes or 'No' उसके जारी होने की तिथि/ (Issuing date Validity date) वैधता अवधि अंकित करना आवश्यक है इसका उतरदायित्व निविदादाता का है अपेक्षित राशि के डी.डी./ बैंकर्स चैक के अभाव में निविदा अमान्य कर दी जावेगी।

(ए) परिशिष्ट "अ" क्वालीफाईंग बिड है क्वालीफाईंग बिड के साथ समस्त प्रमाण पत्र एवं अमानत राशि, प्रोसेसिंग फीस व फार्म फीस की डीडी/बैंकर चैक एवं परिशिष्ट "अ", "स" एवं "द" तथा अनुलग्नक अ,ब,स में अंकित शर्तों की स्वीकार्यता की सहमति के लिए परिशिष्ट 'द' एवं अनुलग्नक 'ब' पर हस्ताक्षर उपरान्त ई-निविदा के साथ संलग्न करना होगा तथा ई-निविदा के समस्त कागजात एवं डी. डी. निर्धारित दिनांक एवं समय पर प्रस्तुत किए जाएंगे।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

Vinod Kumar

जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-1

परिशिष्ट "ब"

निविदा प्रपत्र प्राईज बिड

1. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-प्रथम के कार्यालयों में फोटोस्टेट कार्य करने हेतु निविदा
2. निविदादाता का नाम.....
3. पत्राचार का पता.....
4. निविदा प्राप्तकर्ता जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-प्रथम
5. निविदा शुल्क राशि 1000/- नगद रसीद/डीडी संख्या..... दिनांक..... द्वारा जमा करवाई जा चुकी है।
6. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-प्रथम द्वारा जारी की गई निविदा सूचना दिनांक एवं निविदा सूचना के क्रम में प्रकाशित की गई शर्त जो निविदा के साथ संलग्न हैं उनसे हम पूर्णतया सहमत हैं। (हमारी स्वीकृति बतौर हमने सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।)
7. निम्नलिखित फोटोस्टेट कार्य के लिये दरें निम्न प्रकार होगी।

क्र. सं.	पेपर साईज	दरें कागज, मशीन मय ऑपरेटर एवं समस्त करों सहित	दरें कागज, मशीन मय ऑपरेटर एवं समस्त करों सहित (शब्दों में)
1.	लीगल साईज प्रथम प्रति	BOQ में अंकित करें।	BOQ में अंकित करें।
2.	लीगल साईज अतिरिक्त प्रति	" "	" "
3.	ए-3 साईज प्रथम प्रति	" "	" "
4.	ए-3 साईज अतिरिक्त प्रति	" "	" "

नोट— दरें विभागीय BOQ में अंकित करनी है।

8. उक्त दरें 01.04.2026 से 31.03.2027 तक मान्य होगी। राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अनुसार 03 माह अवधि तक बढ़ाई जा सकती है।
9. अमानत राशि के रूप में बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक संख्या..... दिनांक..... राशि..... बैंक पर आहरित है। जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र संलग्न है।

हस्ताक्षर

निविदादाता का नाम
एवं फर्म की मोहर

Am Jorale

जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-I

परिशिष्ट "स"

निविदा एवं संविदा की सामान्य शर्तें

1. टेण्डर निर्धारित प्रपत्र में जो कि विभाग से जारी किया गया हो, में ही प्रस्तुत किया जा सकेगा।
2. टेण्डर के सभी प्रपत्र एवं अनुलग्नक पर निविदादाता के हस्ताक्षर आवश्यक रूप से होंगे।
3. निविदा में किसी प्रकार की कटिंग नहीं होनी चाहिए। यदि कोई हो तो उस पर लघु हस्ताक्षर अनिवार्य है।
4. निविदा दिनांक 09.03.2026 को समय प्रातः 10:00 बजे तक वेबसाइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड करके निर्धारित दस्तावेजों के साथ दिनांक 09.03.2026 को प्रातः 12.00 बजे तक ऑनलाईन अपलोड करनी है तथा अपलोड किये गये समस्त दस्तावेजों की प्रति एवं निर्धारित राशि के डी.डी./बैंकर्स चैक की प्रति कार्यालय के स्टोर शाखा, कमरा नंबर 103, जिला एवं सेशन न्यायालय जयपुर महानगर प्रथम में भौतिक रूप में **(Physically)** दिनांक 09.03.2026 को दोपहर **(01.00 PM)** तक बन्द लिफाफे में जमा करानी होगी।
5. निविदा दिनांक 09.03.2026 को उपस्थित निविदादाताओं या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष दोपहर 01.30 बजे तकनीकी बिड खोली जावेगी।
6. विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार ही निविदा प्रस्तुत की जानी है। निर्धारित प्रपत्र में किसी प्रकार का संशोधन के साथ दी गई निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
7. निविदा देने वाली फर्म द्वारा निम्न जानकारी टेण्डर फार्म के साथ संलग्न की जावे।
 - (1) यदि फर्म एकल स्वामित्व की है तो स्वामी का पूरा नाम, कार्यालय एवं निवास का पूर्ण पता एवं टेलीफोन नम्बर।
 - (2) यदि फर्म भागीदारी का है तो भागीदारी-विलेख (पार्टनरशिप डीड) की एक अभिप्रमाणित प्रति यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्णन।
8. आयकर विभाग को प्रस्तुत की गई गत वर्ष की आयकर रिटर्न की प्रति निविदा के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।
9. कम से कम 10 फोटोस्टेट मशीन के स्वामित्व होने का शपथ पत्र संलग्न करना होगा।
10. निविदा के साथ निविदादाता को नियमानुसार निर्धारित राशि 50,000/-रूपये अर्नेस्ट मनी के रूप में एवं प्रोसेसिंग फीस 500/-रूपये एम0डी0, आर.आई.एस.एल.जयपुर के पक्ष में एवं फार्म फीस 500/- रूपये जमा करनी होगी। अर्नेस्ट मनी/फार्म फीस की डी.डी./बैंकर्स चैक/बैंक ड्राफ्ट के रूप में जो जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-प्रथम के नाम जमा करानी होगी। सशर्त एवं तार द्वारा प्राप्त निविदा मान्य नहीं होगी।
11. निम्न परिस्थितियों में अर्नेस्ट मनी को जप्त कर लिया जावेगा—
 - (1) जब निविदादाता टेण्डर खुलने के पश्चात किन्तु स्वीकृति से पहले टेण्डर से पीछे हटता है अथवा टेण्डर में कोई संशोधन करता है।
 - (2) जब निविदादाता द्वारा निर्धारित समय में अनुबन्ध सम्पादित नहीं किया जाता है।
 - (3) जब निविदादाता द्वारा कार्यादेश देने के पश्चात निर्धारित समय में प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराई जाती है।
12. निविदा फार्म के साथ में लगाये गये प्रमाणित दस्तावेजों की पुष्टि हेतु विभाग के मांगे जाने पर मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

Am/rode

13. निविदा स्वीकार होने की स्थिति में निविदादाता को निर्धारित प्रारूप में विभाग द्वारा दिये गये समय में करार निष्पादित करना होगा।
14. निविदा स्वीकार होने की दशा में विभाग के साथ फर्म के होने वाले अनुबन्ध की पालना के लिए निविदादाता फर्म के मालिक/भागीदारों की मृत्यु की स्थिति में उनके वैधानिक उत्तराधिकारी जिम्मेदार होंगे।
15. स्वीकृत निविदा के निविदादाता को कुल कार्य की राशि का 5 प्रतिशत प्रतिभूति के रूप में अमानत राशि समायोजन करते हुये जमा करवानी होगी। प्रतिभूति बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट, पोस्ट ऑफिस, राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए। (जो जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-प्रथम) के नाम रहन की हुई हो।
16. निविदादाता निविदा स्वीकृति होने पर कार्य के सम्पूर्ण भाग/हिस्से को किसी अन्य फर्म को सबलेट नहीं कर सकेंगा। यदि ऐसा करता हुआ पाया गया तो अनुबन्ध बिना किसी नोटिस के समाप्त कर प्रतिभूति राशि जप्त कर ली जावेगी।
17. स्वीकृत निविदाकार उनके कर्मचारियों को होने वाली हानियों, दुर्घटनाओं, दिये जाने वाले वेतन भत्तों, क्षतिपूर्ति के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। विभाग/राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
18. किसी भी फोटोस्टेट मशीन पर कार्य हेतु बाल श्रमिकों को नहीं लगाया जायेगा। कार्य पर रखे जाने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होगी। ऑपरेटर अनुभवी एवं सैट बनाने के कार्य में निपुण होना चाहिए। विभाग में कार्य करने वाले ऑपरेटर का पूर्ण पता मय फोटो विभाग को उपलब्ध कराना होगा।
19. राज्य सरकार अर्नेस्ट मनी/प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज अदा नहीं करेगी। प्रतिभूति राशि बैंक ड्राफ्ट/राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में संविदा अवधि के लिए राज्य सरकार के नाम एन्डोर्समेन्ट होगा, स्वीकार की जा सकेगी।
20. अंकेक्षण के दौरान यदि निविदादाता के विरुद्ध किसी प्रकार की बकाया अनियमित भुगतान वसूली निकाली जाती है तो वह उसके द्वारा भुगतान की जावेगी। भुगतान नहीं करने की स्थिति में नियमानुसार फर्म से वसूली की कार्यवाही की जावेगी।
21. दर संविदा अवधि को राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अनुसार 03 माह अवधि तक बढ़ाई जा सकती है।
22. अनुबन्धकर्ता की जिम्मेदारियाँ—
 - (1) अनुबन्धकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके द्वारा उपलब्ध करायी जा रही मशीनें तकनीकी रूप से फिट हो, जिससे कार्य के दौरान ब्रेक डाउन न हो।
 - (2) यह भी सुनिश्चित करना होगा कि फोटोस्टेट मशीन ऑपरेटर पर्याप्त अनुभवी एवं योग्य होना आवश्यक है।
23. अर्नेस्ट मनी— इस निविदा के साथ प्रत्येक निविदादाता को निर्धारित अर्नेस्ट मनी जमा करानी होगी। इस हेतु जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-प्रथम के पक्ष में भुगतान योग्य बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत किया जाना चाहिये। अनुबन्ध की कुल राशि की पांच प्रतिशत राशि प्रतिभूति राशि के रूप में जमा करानी होगी। अर्नेस्ट मनी उस अवसर पर इस प्रतिभूति राशि में समायोजित कर ली जावेगी। असफल रहने वाले निविदादाताओं को अर्नेस्ट मनी निविदा पर निर्णय होने के एक माह में वापस कर दी जावेगी। इस राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
24. अनुबन्ध— सफल निविदादाताओं को एक सप्ताह में नियमानुसार निर्धारित मूल्य का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-1 के साथ एक अनुबन्ध सम्पादित करना होगा। अनुबन्ध समय पर न होने की स्थिति में अर्नेस्ट मनी जप्त कर ली जावेगी।

Amjale

25. संविदा अवधि में संविदा के दोनों पक्षों के मध्य यदि किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-प्रथम द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम होगा।
26. समस्त अधिकार जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-प्रथम के पास सुरक्षित होंगे।
27. किसी भी कानूनी विवाद के लिये जयपुर स्थित कार्यालयों/न्यायालयों में ही वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा।
28. कार्यालय द्वारा केवल फोटोस्टेट मशीन हेतु स्थान उपलब्ध कराई जावेगी।
29. प्रस्तुत दरों में सभी प्रकार का व्यय (यथा मशीन, श्रम, सामग्री टोनर, ड्रम, कागज इत्यादि) सम्मिलित होगा, किसी प्रकार का व्यय अलग से देय नहीं होगा एवं उत्तम गुणवत्ता का टोनर व कागज ही फोटो स्टेट हेतु उपयोग में लिये जायेंगे।
30. महत्वपूर्ण एवं गोपनीय दस्तावेज सम्बन्धित कर्मचारी के सामने फोटो कॉपी कर उपलब्ध कराने होंगे। गोपनीयता हेतु अस्पष्ट फोटो कॉपी का उसी समय निस्तारण करना होगा, जिससे उसका दुरुपयोग नहीं हो सके।
31. कार्य सन्तोषजनक नहीं होने पर भुगतान में कटौती कर अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है, जिसके लिये कोई लिखित नोटिस/सूचना देनी आवश्यक नहीं होगी।
32. कार्य सुचारु रूप से करने हेतु फोटो स्टेट मशीन की वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी।
33. गत 05 वित्तीय वर्षों में से किन्हीं 03 वर्षों में (2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25 व 2025-26) में कम से कम 20 लाख रुपये का औसत वार्षिक टर्नओवर होना अनिवार्य है इस बाबत दस्तावेज पर सीए द्वारा यूडीआईएन नम्बर अंकित होना अनिवार्य है जिसके टर्नओवर की प्रति संलग्न करें। इसके अभाव में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
34. सफल निविदादाता को स्टाम्प अधिनियम के अनुसार निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पैपर पर अनुबन्ध निष्पादित करना होगा एवं कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व 5 प्रतिशत प्रतिभूति राशि के रूप में बैंकर्स चेक/डी.डी. प्रस्तुत करनी होगी।
35. बिना कारण बताये निविदा स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार इस कार्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।
36. फोटोस्टेट कार्य करने हेतु संस्था/फर्म का जी0एस0टी0रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है।
37. फोटोस्टेट का कार्य सुविधानुसार करवाया जावेगा।
38. आरटीपीपी नियम 2012 एवं 2013 के प्रावधान उक्त निविदा पर प्रभावी होंगे।
39. एजेन्सी/संस्था के स्तर पर उपलब्ध कराये गये व्यक्तियों का चाल-चलन/चरित्र अच्छा होना चाहिए। उनके संबंध में एजेन्सी/संस्था की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। सफल निविदादाता को कार्यादेश के समय उनके चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। शिकायत होने पर उन्हें तुरन्त हटा दिया जावे।
40. यदि सेवा सम्बन्धित कार्य राजपत्रित अवकाश के दिन आवश्यकता पड़ती है तो तदनुसार उपस्थित होकर सेवा प्रदान करनी होगी।
41. वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना/परिपत्र/आदेश के अनुसार निविदा शर्तों में परिवर्तन का समस्त अधिकार उपापन संस्था होंगी।
42. दरें स्वीकार होने पर दोनों प्रतिलिपि शाखाओं हेतु अलग-2 फोटो स्टेट मशीनें लगानी होगी।
43. आदेशित फोटोस्टेट कार्य फर्म द्वारा समय पर ही किया जावेगा, जिसमें असफल रहने पर संविदाकर्ता फर्म को सामान्य वित्तिय एवं लेखा नियमों के अनुसार दण्ड से आरोपित किया जा सकता है।
44. फोटोकॉपी कार्य बाबत प्राप्त दरें 01.04.2026 से 31.03.2027 तक मान्य होगी।

Amjorale

45. फोटोस्टेट प्रतियाँ सुस्पष्ट एवं पठनीय होनी चाहिए, उन्हें भागवार सेट बनाकर स्टेपल कर संभलानी होगी।
46. फोटो कॉपियों हेतु समस्त रिकॉर्ड विभागीय कर्मचारी द्वारा उपलब्ध करवाया जावेगा, इनकी गोपनीयता एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी अनुबंधित फर्म की होगी।
47. आदेशित फोटोकॉपी कार्य हेतु रिकॉर्ड विभागीय कर्मचारी द्वारा कार्यालय समय के प्रारम्भ में संभलवाया जावेगा एवं प्राप्त होते ही तुरन्त फोटोप्रति कार्य कर विभागीय कर्मचारी को नियत समय में लौटाना होगा।
48. एकल कार्य आदेश कम से कम रु. 15,000,00/—(पन्द्रह लाख रुपये) के कार्य का होना चाहिए।
49. प्रतिदिन के कार्य का भुगतान फर्म द्वारा प्रतिदिन ही प्राप्त कर रसीद विभागीय कर्मचारी को देनी होगी।
50. पत्रावली की फोटो प्रतियों का कार्य तुरन्त ही करके देना होगा।
51. अनुबंधित फर्म द्वारा किसी कारण वश कार्य न कर सकने की स्थिति में अन्यत्र कार्य करवाने की व्यवस्था स्वयं के स्तर पर करनी होगी अथवा अनुबंधित फर्म की रिस्क एवं कोस्ट पर बाजार से कार्य करवाये जाने पर होने वाले हर्जे-खर्चे का वहन फर्म द्वारा ही करना होगा।
52. प्रतिलिपि कार्य उसी दिन करना होगा, जिस दिन कार्यालय से पत्रावली प्राप्त होती है।
53. प्रतिलिपि से संबंधित पत्रावली व्यवस्थित रूप से बांध कर संबंधित शाखा को वापस संभलाई जायेगी।
54. प्रभारी अधिकारी, प्रतिलिपि शाखा कभी भी पत्रावलियों की सुरक्षा व गोपनीयता आदि के संबंध में प्रतिलिपि कार्य करने के स्थान का औचक निरीक्षण कर सकेंगे।
55. अवकाश दिवस को भी आवश्यक होने पर आदेशानुसार प्रतिलिपि कार्य करना होगा।
56. फर्म द्वारा प्रतिलिपि शाखाओं एवं न्यायक्षेत्राधीन न्यायालयों का प्रतिलिपि सम्बन्धी कार्य ही किया जावेगा। प्राईवेट या बाहरी कार्य नहीं किया जावेगा।
57. फोटो स्टेट कार्य प्रतिलिपि शाखा में स्थित कमरों में ही किया जावेगा। फोटो स्टेट कार्य बाहर से करके लाने या फोटो स्टेट कार्य हेतु रिकॉर्ड को बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
58. प्रतिलिपि शाखा से संबंधित कार्य हेतु एक विद्युत उपभोग हेतु सब-मीटर फर्म द्वारा लगाया जायेगा, जिस पर इस कार्यालय की मोहरबंद सील होगी तथा फर्म को तीन-तीन माह से उपभोग की गई बिजली का रीडिंग अनुसार खर्चा औसत दर प्रति यूनिट के आधार पर जमा कराना होगा।
59. कार्य संतोषप्रद नहीं होने पर किसी भी समय करार रद्द करते हुये राज. लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 तथा अधिनियम 2012 के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।
60. फोटो स्टेट का कार्य 70 जीएसएम पेपर पर करना होगा। घटिया मैटेरियल का प्रयोग नहीं किया जावेगा। (कागज का नमूना फर्म की सील मय हस्ताक्षर निविदा के साथ संलग्न किया जावे)।

हस्ताक्षर
निविदादाता का नाम
एवं फर्म की मोहर

Am 10/02/20

जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-1

परिशिष्ट "द" (प्रथम)

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन आईटम/स्टोर/कार्य के लिए निविदा दी है, उनका/उनके लिए मैं/हम बोनाफाईड विनिर्माता/निर्माता (वृहत/मध्यम/लघु)/थोक विक्रेता/ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर/सोल सेलिंग मार्केटिंग एजेंट/प्राधिकृत डीलर/डीलर हूँ/हैं। मेरे द्वारा विभागीय परिशिष्ट अ, ब एवं स तथा निविदा सूचना को पूर्ण रूप से पढ़कर समझ लिया है। मेरे द्वारा उन शर्तों की पूर्ण पालना की गई है/करूंगा/करेंगे और मैं/हम उन्हें अक्षरक्षः स्वीकार करते हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जावे तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी बयाना/प्रतिभूति राशि का समपहरण कर लिया जावे तथा निविदा को जिस सीमा तक स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जावे।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

पूर्ण पता—

टेलीफोन नं.

परिशिष्ट "द" (द्वितीय)

शपथ पत्र

मैं—

यह कि मेरी फर्म एवं मेरी फर्म का प्रबन्धक किसी भी अपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त नहीं है। और न ही किसी भी राजकीय विभाग/अर्द्धसरकारी संस्थान द्वारा पूर्व में ब्लेक लिस्टेड/अमानत राशि जब्त कर निष्कासित किया गया है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

मय मोहर

पूर्ण पता—